माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक–19.06.2025 (गुरूवार) को पूर्वाह्न 10:00 बजे से आहूत विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– संलग्न–

खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना की मासिक समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के हार्दिक स्वागत के साथ बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

1. **समाहरण :–**

वित्तीय वर्ष 2024–25 के माह मई, 2024 तक के राजस्व समाहरण की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 के माह मई, 2025 तक राजस्व समाहरण में 35.01 प्रतिशत गिरावट है।

गत वर्ष 2024 में माह मई की तुलना में इस वर्ष 2025 में माह मई में निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध अधिकांश जिलों (यथा– गोपालगंज, नवादा, दरभंगा, जहानाबाद, मोतिहारी, बाँका, सुपौल, अरवल, नालंदा, गया, मधुबनी, अररिया, सीतामढ़ी, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार, बक्सर, रोहतास, शेखपुरा, जमुई, मधेपुरा, पूर्णियाँ, सहरसा, सारण, पटना, लखीसराय तथा शिवहर) द्वारा राजस्व समाहरण कम किया गया है।

सभी खनन पदाधिकारियों को सख्त निदेश दिया गया कि जून माह तक प्रथम तिमाही में निर्धारित लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त किया जाय। नीचे से 05 कम राजस्व प्राप्त करने वाले जिलों से लिखित स्पष्टीकरण करने का आदेश दिया गया।

2. **बालूघाटों की नीलामी :–**

i. जिन जिलों में बालूघाटों की नीलामी संपन्न नहीं हो पायी है, उन जिलों के सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब संबंधित समाहर्त्ता से समन्वय स्थापित कर बालूघाटों की नीलामी कराने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय।

ii. अनीलामित बालूघाटों के लिए समीक्षा कर मात्र अगर आवश्यक हो तो सुरक्षित जमा राशि पुनरीक्षण का सुविचारित प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

iii. प्रत्यार्पित किये गये सभी बालूघाटों की पुनर्नीलामी हेतु अविलम्ब विज्ञापन प्रकाशित कराया जाय। समाहर्त्ता इस संबंध में अपने स्तर से कारणों की समीक्षा कर नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

iv. जिलों में जब्त बालू के निष्पादन हेतु अविलम्ब निविदा प्रकाशित की जाय।

v. कार्य विभागों को विकासात्मक परियोजनाओं के लिए बालू की कमी न हो, इसके लिए उनके साथ समन्वय बैठक अवश्य की जाय।

(अनुपालन :– सभी सहायक निदेशक/ख0वि0पदाधिकारी)

3. **कार्य विभाग की रॉयल्टीः–**

i. कार्य विभागों द्वारा निमार्ण कार्यो में बड़े पैमाने पर लघु खनिजों का उपयोग किया जाता है। ग्रामीण कार्य, पथ निर्माण, जल संसाधन विभाग, भवन निर्माण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, इत्यादि के संवेदकों द्वारा निर्माण कार्यो/सरकारी परियोजनाओं में उपयोग किये गये लघु खनिजों यथा–मिट्टी, गिट्टी, बालू, मोरम इत्यादि के प्रयोजनार्थ रॉयल्टी की प्राप्ति कर खनन मुख्य शीर्ष 0853 में जमा कराना सुनिश्चित करें। इस क्रम में संबंधित Head का report संबंधित कोषागार से प्राप्त करने का निदेश भी दिया गया ताकि District Level Task Force की बैठक में उक्त report के आधार पर युक्तियुक्त स्वामिस्व जमा हुई है या नहीं, इस बात की समीक्षा जिलाधिकारी स्तर पर की जा सके।

ii. साथ ही बड़े Projects में लघु खनिजों के उपयोग के विरूद्ध नियमानुसार चालान उपलब्ध है, इसकी जाँच समाहर्त्ता के माध्यम से करायी जाय। परंतु कार्य विभागों के कार्यों में इस क्रम में अनुचित रूप से अड़चन नहीं उत्पन्न किया जाय।

iii. पटना एवं वैशाली जिले विशेषकर गत वर्ष कार्य विभागों की रॉयल्टी की गहन समीक्षा कर लें।

iv. आवश्यकतानुसार निर्माण कार्य का आँकड़ा नगर/निगम निकायों से प्राप्त किया जा सकता है।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/ख0वि0पदाधिकारी)

4. **पत्थर खनन पट्टों का DSR निर्माण के संबंध में :–**

सभी संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि विभागीय पत्रांक–3079, दिनांक–04.06.2025 के आलोक में दिनांक 26.06.2025 तक जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार कर मुख्यालय को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि विभाग से निदेश प्राप्त होने के पश्चात् ही DSR को Approval हेतु SEIAA,Bihar को भेजा जाएगा।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/ख0वि0पदाधिकारी)

5. **ईंट–भट्टों/मिट्टी उत्खनन :–**

राज्यान्तर्गत कुल ईंट–भट्टों की सं0–6396, पूर्ण भुगतान प्राप्त ईंट–भट्टों की सं0–4979, आंशिक भुगतान प्राप्त ईंट–भट्टों की सं0–03 एवं शून्य भुगतान वाले ईंट–भट्टों की सं0–1414 है। संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी से स्पष्टीकरण किया जाय।

सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि माननीय न्यायालय, पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार एवं पर्यावरण विभाग, बिहार सरकार के दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए नियमानुसार ईंट भट्टों से स्वामिस्व की वसूली की जाय।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/ख0वि0पदाधिकारी)

6. **अवैध खनन के संबंध में Action Taken Report :–**

i. किशनगंज, खगड़िया, अररिया, बक्सर, पूर्णियाँ, शेखपुरा, सीतामढ़ी, मोतिहारी एवं शिवहर जिला का माह मई, 2025 तक प्राथमिकी एवं गिरफ्तारी शून्य है। इस संबंध में संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय।

ii. सचिव, खान एवं भूतत्व द्वारा निदेश दिया गया कि समाहर्त्ता, पुलिस अधीक्षक एवं लोक अभियोजक की बैठक में Prosecution Report दायर करने की कार्रवाई हेतु विचार किया जाए।

iii. यह भी निदेश दिया गया कि Action Taken Report में Civil Action, Criminal Action, Recovery of Revenue एवं संबंधित दोषी कर्मी पर नियमानुसार कौन सी कार्रवाई की गई, का उल्लेख भी प्रतिवेदन में अवश्य अंकित किया जाए। ATR के साथ जाँच प्रतिवेदन, आवश्यकतानुसार विडियोग्राफी/फोटोग्राफ्स, जाँच करने का समय इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। यदि जाँच में कोई गड़बड़ी नहीं पायी जाती है, तो भी प्रतिवेदन में अपना स्पष्ट मंतव्य देना सुनिश्चित करें।

iv. जप्त वाहनों की विवरणी में छोटे एवं बड़े वाहनों की संख्या पृथक भी दिखाई जाए

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/ख0वि0पदाधिकारी)

7. **District Task Force Meeting :–**

समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि जिन जिलों द्वारा District Task Force की बैठक नियमित रूप से नहीं की जा रही है, उन जिलों के खनन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि संबंधित जिला के समाहर्त्ता से यथासंभव महीने के पहले पखवाड़े में बैठक कराने का निदेश दिया गया, ताकि यदि प्रथम पखवाड़े में किसी कारणवश बैठक न भी हो सके, तो द्वितीय पखवाड़े में बैठक निश्चित रूप से हो जाय।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/ख0वि0पदाधिकारी)

8. **खान निरीक्षकों के द्वारा छापेमारी/जब्ती/दण्ड वसूली आदि कार्यों के मूल्यांकन के संबंध में :–**

कार्य मूल्यांकन में न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले 10 खान निरीक्षकों से स्पष्टीकरण किया जाय।

(अनुपालन :–सभी खान निरीक्षक)

9. **खनिज विकास पदाधिकारी के कार्य मूल्यांकन :–**

कार्य मूल्यांकन में न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले 05 सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण किया जाय।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/ख0वि0पदाधिकारी)

10. वृहद खनिज पट्टों के जाँच :–

वर्तमान में रोहतास जिलान्तर्गत चूना पत्थर का एक मात्र खनिज ब्लॉक संचालित है। सहायक निदेशक, रोहतास को नियमित रूप से नियमानुसार जाँच हेतु निदेशित किया गया एवं विगत समय में की गयी जाँचों का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– सहायक निदेशक, रोहतास)

11. नीलाम पत्र वाद :–

नीलाम पत्र वादों में सन्निहित राशि के वसूली में ठोस कदम उठाने का निदेश दिया गया। इस संबंध में BW/DW नियमित रूप से निर्गत कर उसका तामिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से कराना सुनिश्चित कि या जाय।

रोहतास, भोजपुर एवं अन्य जिलों में नीलाम पत्र वाद की एक बड़ी राशि लंबित है, जिसपर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/ख0वि0पदाधिकारी)

12. District Control Room :–

जिन जिलों में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना नहीं हुई है, उन्हें अविलम्ब कार्रवाई करते हुए जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/ख0वि0पदाधिकारी)

13. NIC से संबंधित समस्याएँ :–

जिन जिलों का ऑनलाईन चालान काटे जाने अथवा NIC संबंधित कार्यो में किसी प्रकार की परेशानी होने पर विभाग को अवगत करावें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/ख0वि0पदाधिकारी)

14. बंदोबस्तधारी द्वारा ऑनलाईन रिटर्न :–

सभी खनिज विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने जिलान्तर्गत सभी बंदोबस्त बालूघाटों के बंदोबस्तधारी से ऑनलाईन वार्षिक एवं मासिक रिटर्न खनन सॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड/अपडेट कराये।

15. रेलवे रैक से प्राप्त खनिजों के चालान :–

अन्य राज्यों से रेलवे रैक द्वारा पत्थर/गिट्टी लाने संबंधी मामलों के भंडारण अनुज्ञप्ति स्थलों का नियमित निरीक्षण किया जाय एवं नियमानुसार CCTV कैमरा एवं धर्मकाँटा लगावाने हेतु कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/ख0वि0पदाधिकारी)

16. सेकेण्डरी लोडिंग :–

i. मॉनसून अवधि में सेकेण्डरी लोडिंग प्वाईंट का ड्रोन सर्वे तथा स्टॉक सत्यापन अवश्यक कराया जाय ताकि कोई अनियमितता नहीं हो।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/ख0वि0पदाधिकारी)

ii. कतिपय जिलों यथा–गोपालगंज, सिवान, आदि में भंडारण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा रेट बढ़ाकर बालू बेचने संबंधी सूचना प्राप्त होने के आलोक में खनिज विकास पदाधिकारी, सिवान एवं गोपालगंज को निदेश दिया गया कि एतद् संबंधी मामलें में अविलम्ब जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई किया जाय।

(अनुपालन :–ख0वि0पदाधिकारी, सिवान एवं गोपालगंज)

17. <u>DMF पोर्टल के अद्यतन एवं DMF योजना से संबंधित :–</u>

समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि जिन जिलों में DMF पोर्टल अद्यतन नहीं है, उसे अविलम्ब अद्यतन करने का निदेश दिया गया।

DMF मद में अधिकांश जिलों में राशि पड़ी हुई है, उस राशि को अनुमान्य विकास कार्यों में खर्च करने का निदेश दिया गया। DMF मद से तैयार योजनाओं में योजना का नाम, विभाग का नाम, विभाग का प्रतीकात्मक चिन्ह शिलापट्ट/बोर्ड/बैनर पर स्पष्टता से उल्लेख होना चाहिए।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/ख0वि0पदाधिकारी)

18. <u>अन्य बिन्दु :–</u>

(1) माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि खनिज लदा कोई वाहन का चालान यदि वैध कारण (यथा– जाम, गाड़ी खराब होने, चालक के बीमार पड़ जाने के कारण, इत्यादि) से फेल हो जाता है, तो मामलें की समुचित समीक्षा कर ली जाय तथा अनावश्यक वाहन मालिकों/चालको को परेशान न किया जाय।

(2) सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, नालंदा अतिरिक्त प्रभार, शेखपुरा एवं खनिज विकास पदाधिकारी, मोतिहारी द्वारा कार्यों में बरती गयी शिथिलता हेतु स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

(3) अवैध परिवहन/प्रेषण की दृष्टि से अरवल जिलान्तर्गत सभी संवेदनशील स्थलों तथा पटना जिलान्तर्गत रूपसपुर तथा दानापुर व अन्य क्षेत्रों में ओभरलोडेड/बिना चालान के वाहनों की विशेष रूप से समुचित एवं सघन जाँच करने का निदेश संबंधित खनन पदाधिकारियों को दिया गया।

(4) श्री सुरेश प्रसाद, विशेष कार्य पदाधिकारी, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया गया कि विभागीय स्तर पर माननीय उच्च न्यायालय में दायर CWJC/MJC से संबंधित मामलों को माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री को भी वस्तुस्थिति से अवगत करावें।

(5) पुलिस का 2/8 का बल संबंधित समाहर्त्ता/पुलिस अधीक्षक से आवश्यकतानुसार सम्पर्क स्थापित कर वृहत जाँच एवं छापेमारी में आवश्यकतानुसार प्रयोग में लाया जाय एवं पारदर्शी तरीके से जाँच सम्पन्न करायी जाय।

(6) सभी खनन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि जो भी अंचल कार्यालय/जिला खनन कार्यालय निजी व्यक्तियों के मकान में किराये पर है, उन

कार्यालयों को सरकारी भवन में अधिष्ठापित करने हेतु संबंधित समाहर्त्ता से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई किया जाय।

(7) सभी खनन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि अपने प्रभाराधीन कार्यालय के सेवानिवृत/मृत कर्मियों का सेवान्त लाभ/सभी प्रकार के पाबना का नियमानुसार भुगतान अविलम्ब करना सुनिश्चित किया जाय।

(8) सभी खनन पदाधिकारियों को Sparrow work flow chart उपलब्ध कराने, HRMS Module को लागू करने, आवश्यकतानुसार आवंटन हेतु अधियाचना भेजने, सेवा सम्पुष्टि मामलों का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा स्वच्छता पोर्टल लागू करने का निदेश दिया गया।

(9) पंचांग वर्ष 2024 में CMPDI द्वारा 05 नदियों (यथा–सोन, फल्गु, किउल, चानन एवं मोरहर) के पुनर्भरण अध्ययन में हुए व्यय की राशि की देयता का आंकलन हेतु संबंधित जिलों के खनन पदाधिकारियों को पुनर्भरण अध्ययन का रकबा उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

30/06/2025

(विजय कुमार सिन्हा)
उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री

ज्ञापांक :– 3688 /एम0, पटना, दिनांक :– 07/07/25

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग एवं मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी (मु0/क्षे0)/आई0टी0 प्रबंधक खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/7/25

(दिवेश सेहरा)
सचिव,
खान एवं भूतत्व विभाग